क्रम-संख्या—162

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 26, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 357/79-वि-1—2024-2-क-16-2024

लखनऊ, 17 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024) जिससे पशुधन अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट छह गैर सरकारी सदस्य अर्थात्:–

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) पांच व्यक्ति, जिनमें से दो कृषक होंगे और तीन राज्य में गायों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े होंगे।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 357(2)/LXXIX-V-1–2024-2-ka-16-2024

Dated Lucknow, September 17, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go-Sewa Aayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 15 of 2024) promulgated by the Governor. The Pashudhan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GO-SEWA AYOG (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 15 OF 2024)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy fifth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024.

Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 15 of 1999

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999,-

(a) in sub-section (1), *for* clause (i), the following clause shall be *subsituted*, namely:-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

"(i) six non-official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:-

(i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(ii) five persons of whom two shall be agriculturists and three shall be connected with voluntary organisations engaged in welfare, preservation and protection of cows in the State."

(b) in sub-section (2), *for* the words "Chairperson and the Vice-Chairperson", the words "Chairperson and two Vice-Chairperson" shall be *substituted.*

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 255 राजपत्र—2024—(677)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 85 सा० विधायी—2024—(678)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

255 RPH (Go-Sewa Adhyadesh folder) 2024 data 8c

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner